झारखण्ड सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अधिनियम (अनुदान), 2004 तथा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान), नियमावली, 2004 के उपबंधों के अधीन शैक्षणिक संस्थन के सुदृढीकरण/संरचना विकास तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु आवर्त्तक/अनावर्त्तक तथा अन्य अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के वित्त रहित स्थापना अनुमति प्राप्त/स्वत्वधारक माध्यमिक विद्यालयों एवं स्थायी मान्यता प्राप्त इण्टर महाविद्यालयों से विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान स्वीकृत करने हेतु आमंत्रित किये जाते हैं। माध्यमिक विद्यालय से संबंधित विहित प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से एवं इण्टर महाविद्यालयों से संबंधित विहित प्रपत्र झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से प्राप्त किया जा सकता है।

2- संस्था के प्रबंधन द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2010 तक माध्यमिक विद्यालय के संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में और स्थायी प्रस्वीकृति इण्टर महाविद्यालय के संबंधित आवेदन प्रपत्र झारखण्ड अधिविद्य परिषद् में दिनांक 15.09.2010 तक समर्पित करना होगा।

<u>पात्रता</u> :-

<u>माध्यमिक विद्यालयों के लिये</u> :- केवल वे ही उच्च विद्यालय आवेदन दे सकते हैं, जो निम्नांकित अर्हत्ता रखते हैं :-

(क) राज्य सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त है अथवा स्वत्वधारक हो।

(ख) रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत् पंजीकृत सोसाइटी या न्यास द्वारा संचालित हो अथवा अनुदान प्राप्ति के बाद वाली वित्तीय वर्ष तक पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा संचालित हो।

(ग) उक्त विद्यालयों का शासी निकाय विधिवत् गठित हो।

(घ) संस्था विद्यालयों की संख्या नियम के आलोक में निर्धारित संख्या से कम न हो।

(ड.) शैक्षणिक संस्थानों का वार्षिक परीक्षा में छात्रों का परीक्षाफल 40 प्रतिशत से कम न हो।

(च) संस्था को पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान की राषि का खर्च और व्यय का विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(छ) गत वर्ष की विमुक्त राशि यथा; विनिर्दिष्ट बंधक विलेख निष्पादित एवं पजीकृत का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

इण्टर विद्यालयों के लिये :-

(क) वैसे महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं, जो राज्य सरकार की सहमति से झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं।

(ख) रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत् किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा संचालित हो अथवा अनुदान प्राप्ति के बाद वाले वित्तीय वर्ष तक सोसाइटी या ट्रस्ट से संचालित होने लगे।

(ग) महाविद्यालय का शासी निकाय विधिवत् गठित हो।

(घ) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के अधिनियम, उसके परिनियमों तथा राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करता हो।

(ङ.) विद्यार्थियों की संख्या नियम में यथा विहित संख्या से कम न हो।

(च) विद्यार्थियों के झारखण्ड अधिविद्य परिषद् परीक्षा का परीक्षाफल कम से कम 40 प्रतिशत से कम न हो।

(छ) संस्था को पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान की राशि का खर्च और व्यय का विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ज) गत वर्ष की विमुक्त राशि यथा; विनिर्दिष्ट बंधक विलेख निष्पादित एवं पजीकृत का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

3- जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदन पत्रों को समेकित कर दिनांक 30.09.2010 तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में अपने मंतव्यों के साथ जमा करेंगे।

4- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् इण्टर महाविद्यालयों से प्राप्त विहित प्रपत्र में आवेदन पत्रों को सामेकित कर अपने मंतव्य एवं अनुशंसा के साथ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में दिनांक 30.09.2010 तक जमा करेंगे।

5- अधूरे एवं अस्पष्ट आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6- आवेदन पत्रों के साथ वर्ष 2009-10 के माध्यमिक परीक्षाफल एवं +2 के परीक्षाफल निश्चित रूप से संलग्न रहनी चाहिये।

7- महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन जिला षिक्षा पदाधिकारी से करा लेना आवश्यक होगा और इण्टर महाविद्यालयों के आवेदन पत्रों में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से करा लेना होगा।

8- जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सत्यापित दस्तावेजों, साक्ष्यों के साथ आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अग्रसारित करने की कारवाई सुनिष्चित करें।

9- निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक,
माध्यमिक
शिक्षा